(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2387. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(ग) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2388. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(छ) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ज) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

राज्य-वार कितनी टाडा अदालतें गठित की गई;

(ग) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार इन मामलों में राज्य-वार कितने अभियुक्त हैं;

(घ) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया;

(ड.) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति नजरबंद हैं;

(च) पिछली बार टाडा मामलों की राज्य-वार समीक्षा कब की गई थी; और

(छ) पिछली बार इन मामलों की केन्द्र सरकार द्वारा कब समीक्षा की गई थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : 6क) से (छ) यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती हैं, हालांकि अन्य आपराधिक कानूनों की तरह टाडा, 1987 भी केन्द्रीय अधिनियम हैं लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों की हैं। टाडा, 1987 के व्यपगत हो जाने के बाद राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों की अभियोजन शाखाओं और पढ़नामित टाडा न्यायालयों द्वारा लम्बित मुकदमों को तेजी से निपटाया जाना हैं। एक प्रशासनिक उपाय के रूप में सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर बार-बार अनुरोध किया गया हैं लम्बित मामलों की राज्य स्तर पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाए और लम्बित मामलों मे विचारण तेज किया जाए, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो और पदनामित न्यायालय सृजित किए जायें। केन्द्रीय स्तर पर टाडा मामलों का नियमित प्रबोधन और पुनरीक्षा की जाती हैं। इस मामले की पुनरीक्षा करने के लिए अब केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय पैनल गठित किया गया है, जिसकी बैठक जल्दी होगी।

Overstaying of Foreign Nationals

2389. SHRI BHAGABAN MAJHI:

SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of foreign nationals have overstayed in the country;

(b) if BO, the approxitnate number of those nationals;

(c) whether they have gone underground; and

(d) if not, the efforts being made to traceout their whereabouts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR); (a) to (d) As the powers under the Foreigners Act, 1946 to identify, detect and deport foreign •nationals residing in the counti-y beyond the validity of visa have been delegated to the State Government UT Administrations, such data is not Centrally maintained. The Government is, however, aware of the problem of foreign nationals residing in the country beyond the validity of their visas. Instructipns have been issued to the State Governments/UT Administrations to detect and deport such foreign nationals.

Foodgrains for PDS smoked to Bangladesh

2390. SHRI AKHILESH DAS:

SHRI SHIV CHARAN SINGH:

SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has since been drawn towards a news-item entitled 'Foodgains for PDS being